झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध)–65/2018 - 650

प्रेषक,

मदन मोहनपति त्रिपाठी,
विशेष कार्य पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सभी अपर समाहर्ता–सह–
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक:– 16.09.2021

विषयः– **आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16(6–च) के आलोक में राज्य खाद्य आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी है। इस हेतु सभी जिलों के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् प्राप्त शिकायतों एवं निस्पादित तथा लंबित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन हेतु **01 जुलाई–2020 से 30 जून–2021 तक** की अवधि में आपके कार्यालय में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं निस्पादित तथा लंबित मामलों से संबंधित प्रतिवेदन **30 सितम्बर–2021 तक** संलग्न प्रपत्र में आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

**अनुलग्नक: यथोक्त।**

विश्वासभाजन

16.9.2021

**(मदन मोहनपति त्रिपाठी)**
विशेष कार्य पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Vinod\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx124